रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27122025-268844
CG-DL-W-27122025-268844

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 47] नई दिल्ली, दिसम्बर 21—दिसम्बर 27, 2025, शनिवार/अग्रहायण 30—पौष 6, 1947
No. 47] NEW DELHI, DECEMBER 21—DECEMBER 27, 2025, SATURDAY/AGRAHAYANA 30—PAUSHA 6, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 202.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालयों, वरिष्ठ प्रारूपकार (समूह ख पद), भर्ती नियम, 2021, को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालयों में वरिष्ठ प्रारूपकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालय, ड्रॉइंग सहायक, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 209.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संस्कृति मंत्रालय, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण वरिष्ठ सचिवालय सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 का अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय में वरिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, वरिष्ठ सचिवालय सहायक, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, अथवा

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का करार किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम को उस पर लागू किए जाने से छूट प्रदान कर सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
वरिष्ठ सचिवालय सहायक	27* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित) (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4, (25500-81100 रु.)

चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत कर्मचारियों कें मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा हो तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	90 प्रतिशत रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा और 10 प्रतिशत रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भरी जाएंगी जो विभाग के कनिष्ठ सचिवालय सहायकों तक सीमित होंगी जिसके न होने की स्थिति में आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी। **टिप्पण** : विभागीय परीक्षा के लिए पात्रता सेवा संबंधित संगठन में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा होगी।	प्रोन्नति : कनिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड में 8 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200/- रुपए) में। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी पात्रता सेवा की अर्हता पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थियों पर तभी विचार किया जाएगा जब उन्होंने टंकण परीक्षण उत्तीर्ण कर ली हो या उन्हें विहित प्रक्रिया के अनुरूप उस परीक्षण को उत्तीर्ण करने से छूट प्राप्त हो और ऐसी किसी भी प्रोन्नति का भूतलक्षी प्रभाव होगा। प्रतिनियुक्ति / आमेलन : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक या कनिष्ठ सचिवालय सहायक या समतुल्य सेवा में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200/- रुपए) में नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की हो और मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से शैक्षिक अर्हता के रूप में डिग्री प्राप्त की हो। **टिप्पण 1 :** फीडर प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस

			नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	**(13)**
समूह- 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) निदेशक या विभाग के प्रमुख, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली - सदस्य; (3) कार्यालय प्रमुख, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोज से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

[फा. सं. 6-1/2024-ए और आई]

विनय कुमार तरुण, अवर सचिव

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 19th December, 2025

G.S.R. 209.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Culture, Anthropological Survey of India, Senior Secretariat Assistant (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2021 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Secretariat Assistant in the Anthropological Survey of India, Ministry of Culture namely: -

1. **Short title and commencement.**-(1)These rules may be called the Ministry of Culture, Anthropological Survey of India, Senior Secretariat Assistant (Group – 'C' posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** – The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification** – No person:-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse livings, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Class and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Senior Secretariat Assistant.	27* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) (Ministerial)	Level – 04 (Rs. 25500 – 81100) in the pay matrix	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable	Not applicable	Not applicable	90% of vacancies by promotion and 10% of vacancies through Limited Departmental Competitive Examinations limited to Junior Secretariat Assistant of the department failing which by absorption or deputation. Note: The eligibility service for the Departmental Examination shall be three years regular service in the Junior Secretariat Assistant grade in the concerned organisation.	Promotion: Junior Secretariat Assistant in level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying of eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service of two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** Candidates can be considered for promotion only after they have passed the typing test or they have been exempted in accordance with the prescribed procedure from passing it and any such promotion will have prospective effect. Deputation/Absorption: Officers of the Central Government holding

				analogous post on regular basis, or with eight years' regular service in the grade of Lower Division Clerk or Junior Secretariat Assistant or equivalent service in level -2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix possessing educational qualification of degree from a recognised University. **Note 1:** The departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of the application.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Director or Head of the Department, Anthropological Survey of India. – Chairman; 2. Under Secretary, Ministry of Culture, New Delhi. – Member; 3. Head of Office, Anthropological Survey of India, Kolkata. - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 6-1/2024-A&I]

VINAY KUMAR TARUN, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 210.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संस्कृति मंत्रालय, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण कनिष्ठ सचिवालय सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 का अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, अथवा

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का करार किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

बशर्ते केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम को उस पर लागू किए जाने से छूट प्रदान कर सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
कनिष्ठ सचिवालय सहायक	41* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 02,(19900-63200 रु.)

चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन	18 से 27 वर्ष आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उतीर्ण या उसके समकक्ष योग्यता। (ii) केवल कंप्यूटर पर ही अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (10 मिनट का अनुमत समय) (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट, प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दबाने की औसत से 10500 कुँजी प्रति घण्टा दबाना/9000 कुँजी प्रति घण्टा दबाने के अनुरूप।)

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा हो तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
शैक्षणिक अर्हता जी हां आयु: नहीं	दो वर्ष। **टिप्पणी :-** सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल होगा।	85% सीधी भर्ती द्वारा, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण में बहुकार्य कर्मचारिवृंद में से तीन वर्ष की सेवा के साथ 10% सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा और जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और 5% रिक्तियां मल्टी टास्किंग स्टाफ में से तीन वर्ष की सेवा के साथ वरिष्ठता सह फिटनेस के आधार पर भरी जाएंगी।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900 रुपए) में बहुकार्य कर्मचारिवृंद, जिसने इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पणी 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर, जिन्होंने अपनी पात्रता सेवा की अर्हता पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, दो वर्ष की ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पणी 2:** प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थियों पर तभी विचार किया जा सकता है जब उन्होंने टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो या उन्हें विहित प्रक्रिया के अनुरूप उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने से छूट दे दी गई हो और ऐसी कोई भी पदोन्नति भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) समूह- 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में होंगे :- (1) निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली - सदस्य; (3) कार्यालय प्रमुख, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता - सदस्य। (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) समूह- 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति में होंगे :- (i) निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण - अध्यक्ष; (ii) अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली - सदस्य; (iii) कार्यालय प्रमुख, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता -सदस्य।	लागू नहीं

[फा. सं. 6-1/2024-ए और आई]

विनय कुमार तरुण, अवर सचिव

New Delhi, the 19th December, 2025

G.S.R. 210.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Culture, Anthropological Survey of India, Junior Secretariat Assistant (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Secretariat Assistant in the Anthropological Survey of India, Ministry of Culture namely: -

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Culture Anthropological Survey of India, Junior Secretariat Assistant (Group – 'C' posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**–The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification** – No person:-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection Post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Secretariat Assistant.	41* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) (Ministerial)	Level–02 (Rs.19900–63200) in the pay matrix	Non - Selection.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) 12th class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University; (ii) a typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computers only (Time allowed 10 minutes) (35 words per minute and 30 words per minute corresponded to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).	Educational Qualification: Yes Age: No	Two years. Note: The period of two years for direct recruits shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	85% by direct recruitment, 10% by limited departmental examination from amongst the Multi Tasking Staff in Anthropological Survey of India, with three years of service and who fulfill the eligibility criteria and 5% of the vacancies shall be filled on seniority cum fitness with three years of service from amongst the Multi Tasking Staff.	Promotion: Multi Tasking Staff in level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix with three years regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying of eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service of two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** Candidates can be considered for promotion only after they have passed the typing test or they have been exempted in accordance with the prescribed procedure from passing it and any such promotion will have prospective effect.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : Director, Anthropological Survey of India - Chairman; Under Secretary, Ministry of Culture, New Delhi - Member; Head of Office, Anthropological Survey of India, Kolkata – Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- Director, Anthropological Survey of India - Chairman;	Consultation with Union Public Service is not necessary.

Under Secretary, Ministry of Culture, New Delhi - Member; Head of Office, Anthropological Survey of India, Kolkata – Member.	

[F. No. 6-1/2024-A&I]

VINAY KUMAR TARUN, Under Secy.

सुचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 211.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और फोटो प्रभाग, नई दिल्ली (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 1980, फोटो प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 और फोटो प्रभाग के (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम, 2001 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ सचिवालय सहायक, स्टोर कीपर, आशुलिपिक ग्रेड II, बहुकार्य कर्मचारी वृंद और स्टाफ कार चालक के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग में विभिन्न पदों की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फोटो प्रभाग, पत्र सूचना कार्यालय, प्रशासनिक संवर्ग (समूह-ग) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **लागू होना -** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता-** कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है |